जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का न्यायालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम वाद सं0–26/2020–21

राज्य –बनाम–रवि खेड़ा

दिनांक	आदेश	कार्यालय अनुपलन
	वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ने अपने पत्रांक:–827/डी0सी0बी0, दिनांक:–13.07.2020 के माध्यम से कुख्यात अपराधकर्मी रवि खेड़ा, पिता–दलवीर सिंह, साकिन–म0सं0–238, लाईन नं0–03, दुईलाडुंगरी, थाना–गोलमुरी, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम–2002 (अंगीकृत) के तहत थाने पर उपस्थिति दर्ज करने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया जिसके फलस्वरूप रवि खेड़ा को नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस का तामिला प्राप्त है। वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ने प्रतिवेदित किया है कि अपराधकर्मी रवि खेड़ा, पिता–दलवीर सिंह, पता–म0सं0–238, लाईन नं0–03, दुईलाडुंगरी, थाना–गोलमुरी, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर सक्रीय अपराधकर्मी है। जो वर्तमान में माननीय न्यायालय से जमानत पर मुक्त है, जिन्हें अपराध नियंत्रण हेतु थाना में हाजरी देने की आवश्यकता है। इनके बारे में लगातार सूचनाऐं प्राप्त हो रही है कि ये अपने साथियों के साथ लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील है। ये जेल से जमानत पर मूक्त होने के बाद फिर से सक्रिय है, एवं इनके द्वारा किसी घटना को अंजाम देने से इंकार नही किया जा सकता है। **इस अपराधकर्मी के विरूद्ध निम्न कांड/सनहा दर्ज है–** **01. टेल्को थाना कांड सं0–39/16**, दिनांक–02.02.16, धारा–386/387/388/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट यह कांड वादी गुरमीत सिंह, उम्र करीब–55 वर्ष, पे0–पिवलखन सिंह, सा0–बेलगड़ा आजाद बस्ती, जेम्को, थाना–टेल्को, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के द्वारा लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. रवि सिंह उर्फ रवि खेड़ा, 2. बब्लु महतो उर्फ खट्टा बब्लु एवं तीन–चार अन्य लड़के के विरूद्ध एकमत होकर रंगदारी स्वरूप पैसे की मांग करना एवं धमकाने हेतु फायरिंग करने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है। पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन–2 के अनुसार यह कांड धारा–386/387/388/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त, **1.** बब्लु महतो उर्फ खट्टा बब्लु, पे0–बैजु महतो, **2.** रवि सिंह उर्फ रवि खेड़ा, पिता–दलवीर सिंह, पता–जेम्कों आजाद बस्ती गुरूद्वारा, सेन्टर लाईन, **3.** अप्राथमिकी अभियुक्त मनीष कुमार, पे0–चंद्रिका राजवंषी, सा0–जेम्को आजाद बस्ती, गुरूद्वारा रोड नं0–01, नियर सामुदायिक भवन, तीनो थाना–टेल्को एवं **4.** जसबीर सिहं उर्फ बिल्ले, पे0–करम सिंह, सा0–नानकनगर नामदा बस्ती, हो0नं0–20, थाना–गोलमुरी, सभी जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर एवं अन्य एक–दो अज्ञात के विरूद्ध सत्य प्रतीत होता है। अनुसंधानोपरांत रवि सिंह उर्फ रवि खेड़ा, पिता–दलवीर सिंह, पता–जेम्कों आजाद बस्ती गुरूद्वारा, सेन्टर लाईन, थाना–टेल्को, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के विरूद्ध धारा–386/387/388/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अरोप पत्र सं0–109/16, दिनांक–29.08.2016 को समर्पित किया गया है। **02. साकची थाना कांड सं0–60/17**, दिनांक–04.04.2017, धारा–25(1-b)a/26/35 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत यह कांड वादी मदन कुमार शर्मा,	

पु0नि0 सह थाना प्रभारी साकची थाना, सा0– पु0नि0 सह थाना प्रभारी साकची थाना, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के द्वारा लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. जसबीर सिहं, पे0–स्व0 करम सिंह, सा0–म0सं0–02, लाइन नं0–03, नानकनगर नामदा बस्ती, थाना–गोलमुरी, 2.रवि सिंह उर्फ रवि खेड़ा, पिता–दलवीर सिंह, पता–जेम्कों आजाद बस्ती गुरूद्वारा, सेन्टर लाईन, 3. रवि खेड़ा उर्फ रवि सिंह का एक अज्ञात दोस्त के विरूद्ध अवैध अग्नेयास्त्र के साथ पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है।

पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन–2 के अनुसार यह कांड धारा–25(1-b)a/26/35 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त, 1. जसबीर सिहं, पे0–स्व0 करम सिंह, सा0–म0सं0–02, लाइन नं0–03, नानकनगर नामदा बस्ती, थाना–गोलमुरी, 2. रवि सिंह उर्फ रवि खेड़ा, पिता–दलवीर सिंह, पता–जेम्कों आजाद बस्ती गुरूद्वारा, सेन्टर लाईन, 3. रवि खेड़ा उर्फ रवि सिंह का एक अज्ञात दोस्त के विरूद्ध सत्य प्रतीत होता है। अनुसंधानोपरांत रवि सिंह उर्फ रवि खेड़ा, उर्फ रविन्द्र सिंह, पिता–दलवीर सिंह, पता–जेम्कों आजाद बस्ती गुरूद्वारा, सेन्टर लाईन, थाना–टेल्को, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के विरूद्ध धारा–25(1-b)a/26/35 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अरोप पत्र सं0–232/17, दिनांक–20.12.2017 को समर्पित किया गया है।

03. गोलमुरी थाना कांड सं0–114/19, दिनांक–26.06.2019, धारा–195(ए)/324/342/363/ 379/307/506/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत यह कांड वादिनी पुर्णिमा, पति–राजीव कुमार, सा0–न्यू डी0एस0 फ्लैट केबल टाउन, थाना–गोलमुरी, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के द्वारा लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. उदय चौधरी, पे0–अंकित नही, सा0–35 डी0एस0 फ्लैट केबल टाउन, 2. बब्लु, पे0+सा0–अंकित नही 3. कुणाल, पे0–अंकित नही, सा0–आनंद नगर नामदा बस्ती, सभी थाना–गोलमुरी, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के विरूद्ध एकमत होकर मारपीट कर जान मारने की नियत से गंभीर रूप से घायल करना तथा ए0टी0एम0 से जबरन निकासी करने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है।

पर्यवेक्षण के अनुसार यह कांड धारा–195(ए)/324/342/363/ 379/307/506/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त, **1.** बब्लु महतो, पे0–बैजु महतो, सा0–जेम्को आजाद बस्ती, गुरूद्वारा रोड नं0–01, सेन्टर लाईन, थाना–टेल्को, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, अप्रा0अभि0 **2.** रवि सिंह उर्फ रवि खेड़ा, **3.** सोनी सिंह, **4.** अजय तिवारी उर्फ बाबू, **5.** बच्चा लड़का, **6.** मोनू दास, **7.** सूरज एवं अन्य के विरूद्ध सत्य प्रतीत होता है तथा प्राथमिकी अभियुक्त **8.** उदय चौधरी, पे0–अंकित नही, सा0–35 डी0एस0 फ्लैट केबल टाउन, **9.** कुणाल, पे0–अंकित नही, सा0–आनंद नगर नामदा बस्ती, सभी थाना–गोलमुरी, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के विरूद्ध संलिप्तता की बिन्दु गहराई से जाँच के उपरांत की निर्णय लिया जाना श्रेयष्कर प्रतीत होता है। अनुसंधानोपरांत रवि सिंह उर्फ रवि खेड़ा, उर्फ रविन्द्र सिंह, पिता–दलवीर सिंह, पता–जेम्कों आजाद बस्ती गुरूद्वारा, सेन्टर लाईन, थाना–टेल्को, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के विरूद्ध धारा–195(ए)/324/342/363/379/307/506/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत अरोप पत्र सं0–184/19, दिनांक–03.10.2019 को समर्पित किया गया है।

तथाकथित कुख्यात अपराधकर्मी रवि खेड़ा, पिता–दलवीर सिंह, पता–म0सं0–238, लाईन नं0–03, टुईलाडुंगरी, थाना–गोलमुरी, इनकी अपराधिक गतिविधि के कारण लोक व्यवस्था पर काफी प्रतिकुल असर पड़ रहा है। इनके क्रियाकलाप के कारण क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था प्रभावित है। इनके भय को आम जनता

में कम करने के लिए इनका प्रतिदिन निगरानी रखना आवश्यक है। जिसके लिए थाना पर हाजरी कराकर निगरानी रखने से अमजनों में दहशत का माहौल नियंत्रित रहेगा तथा आम लोगों का मनोबल बढ़ेगा, साथ ही आपराधिक घटनाओं में भी कमी आयेगी। तथा शहर में शांति व्यवस्था बनाये रखने में सहायक सिद्ध होगा।

उक्त तथ्य के आलोक में वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के द्वारा समर्पित अधिनियम में नीहित धारा के तहत उन्हें थाना हाजरी लगाने की अनुशंसा की गई है।

अभिलेख का अवलोकन किया गया। विपक्षी रवि खेड़ा, पिता–दलवीर सिंह, पता–म०सं०–238, लाईन नं०–03, टुईलाडुंगरी, थाना–गोलमुरी, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ने दिनांक 23.02.2021 को कारणपृच्छा दायर किया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि तथाकथित अपराधकर्मी रवि खेड़ा, पिता–दलवीर सिंह, पता–म०सं०–238, लाईन नं०–03, टुईलाडुंगरी, थाना–गोलमुरी, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर सक्रीय अपराधकर्मी है। जो वर्तमान में माननीय न्यायालय से जमानत पर मुक्त है, जिन्हें अपराध नियंत्रण हेतु थाना में हाजरी देने की आवश्यकता है। इनके बारे में लगातार सूचनाऍं प्राप्त हो रही है कि ये अपने साथियों के साथ लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील है। ये जेल से जमानत पर मूक्त होने के बाद फिर से सक्रिय है, एवं इनके द्वारा किसी घटना को अंजाम देने से इंकार नही किया जा सकता है जो कि इसके असामाजिक तत्व होने का प्रमाणित करता है। जो झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) धारा–3(1)(a)(b) के तहत विपक्षी कार्रवाई हेतु पर्याप्त आधार है।

अतः अपराध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 3(1)(a) & 3(1)(b) के तहत तथाकथित अपराधकर्मी रवि खेड़ा, पिता–दलवीर सिंह, पता–म०सं०–238, लाईन नं०–03, टुईलाडुंगरी, थाना–गोलमुरी, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को आदेश दिया जाता है कि वे दिनांकः–**08.03.2021 से 07.09.2021** तक की अवधि में प्रतिदिन संबंधित थाना में उपस्थिति दर्ज करायेंगे। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002(अंगीकृत) अधिनियम की धारा–7(1)(b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे रू० 10,000/–(दस हजार) का बंधपत्र (with two surety) दिनांक **10.03.2021** तक दाखिल करेंगे कि वे समाज में good behavior बनाए रखेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नही किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 (अंगीकृत) धारा–7(2)(b) के तहत कार्रवाई की जायेगी। अपरिहार्य परिस्थिति में अगर वे अपनी उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ रहते है, तो इस हेतु अधोहस्ताक्षरी से पुर्नानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/–

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांकः– 515 (?) /विधि, दिनांकः– 02/03/21

प्रतिलिपिः– रवि खेड़ा, पिता–दलवीर सिंह, पता–म०सं०–238, लाईन नं०–03, टुईलाडुंगरी, थाना–गोलमुरी, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह०/–

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2023.01.24 18:49:35 +05:30
Location: 192.168.1.21